रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012022-232997
CG-DL-E-31012022-232997

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 51] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 2022/माघ 9, 1943
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 2022/ MAGHA 9, 1943

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2022

सा.का.नि. 51(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक साधारण नियम, 2022 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) अभिप्रेत है;

(ख) "निगमित निकाय" से अधिनियम की धारा 16 के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट निकाय अभिप्रेत होंगे और इनके अंतर्गत ये भी सम्मिलित होंगे;

(ग) "कंपनी सचिव" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) के अधीन गठित भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य है और जो संस्थान के सचिवीय कृत्यों का प्रधान है;

(घ) "निदेशक पहचान संख्या" का वही अर्थ होगा, जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 153 और 154 के अधीन बनाए गए नियमों के पद में है;

(ङ) "संबंधित पक्षकार" का संस्थान के संदर्भ सहित वही अर्थ होगा, जो कंपनी के संदर्भ सहित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (76) के पद में है;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं और इन नियमों परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: अधिनियम में है ।

3. अध्यक्ष और अन्य निदेशकों के पद की अवधि.-(1) अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, प्रत्येक उप प्रबंध निदेशक और प्रत्येक अन्य निदेशक जो धारा 6 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट निदेशक से भिन्न है,-

(क) किसी निदेशक के मामले में जो उक्त उपधारा के खंड (ङ) के अधीन निर्वाचित निदेशक से भिन्न है, पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जैसा उसे नामनिर्देशन या नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा अवधारण किया जाए;

(ख) उक्त उपधारा के खंड (ङ) के अधीन निर्वाचित निदेशक के मामले में तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

परन्तु यह अध्यक्ष कि और धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट या नियुक्त प्रत्येक निदेशक उसे नामनिर्दिष्ट या नियुक्त करने वाले प्राधिकारी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा।

परन्तु यह और कि प्रबंध निदेशक और उप प्रबंध निदेशक क्रमश: पैंसठ वर्ष और बासठ वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात् ये पद धारण नहीं करेंगे।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई निदेशक संपूर्ण अवधि, जो दस वर्ष से अधिक न हो, के अध्यधीन पुन: नियुक्ति के लिए अर्ह होगा।

(3) उपनियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी निदेशक के संबंध में,-

(क) केन्द्रीय सरकार, धारा 10 के अधीन पद से उसे हटा सकेगी;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या बोर्ड या शेयरधारक उसे हटा सकेंगे, जो धारा 11 की उपधारा (1) में उपबंधित है;

(ग) केन्द्रीय सरकार को, धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन उसे नोटिस या तीन माह का वेतन और भत्ते देकर उसकी अवधि की अवसान के पूर्व किसी भी समय उसके पद की अवधि को समाप्त करने का अधिकार होगा;

(घ) निदेशक का पद रिक्त हो जाएगा यदि वह धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी निरर्हता के अधीन आता है या हटा दिया जाता है या यदि वह उक्त उपधारा के खंड (ख) अनुसार स्वयं को अनुपस्थित रखता है;

(ङ) निदेशक, ऐसा नोटिस देकर जो धारा 12 की उपधारा (2) में उपबंधित है, अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा :

परन्तु यह कि वह अपने त्यागपत्र के लिए कारणों को ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट करेगा और यह घोषणा करेगा कि जो विनिर्दिष्ट किए गए हैं, के सिवाय कोई अन्य तात्विक कारण नहीं है।

(4) यदि अध्यक्ष अंग-शैथिल या अन्यथा परिस्थिति में जिसमें उसके पद का रिक्त हो जाना या छुट्टी पर अनुपस्थित होना अन्तवर्लित नहीं है, द्वारा अपने कर्तव्य को करने में असमर्थ हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार रिर्जव बैंक से परामर्श करके उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्ति कर सकेगी।

(5) यदि प्रबंध निदेशक अंग-शैथिल या अन्यथा परिस्थिति में जिसमें उसके पद का रिक्त हो जाना या छुट्टी पर अनुपस्थित होना अन्तवर्लित नहीं है, द्वारा अपने कर्तव्य को करने में असमर्थ हो जाता है तो बोर्ड उसकी अनुपस्थिति के दौरान उसके स्थान पर कार्य करने के लिए उप प्रबंध निदेशक को नियुक्ति कर सकेगी।

4. पूर्ण-कालिक निदेशकों से भिन्न निदेशकों की सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें.-(1) प्रत्येक निदेशक जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारी या पूर्ण-कालिक निदेशक से भिन्न है, बोर्ड और समितियों की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ऐसी बैठक फीस प्राप्त करने का हकदार होगा जो नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर बोर्ड द्वारा अवधारित की जाए, ऐसी फीस के अधीन रहते हुए जो ऐसी सीमा से अधिक नहीं होगी जो कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन कंपनी के निदेशक को बैठक फीस के संबंध में लागू हो।

(2) धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट निदेशक संस्थान के कार्य के संबंध में की गई यात्रा के लिए, यात्रा और ठहरने के व्यय, यदि कोई हो, के लिए ऐसे आधार पर जो बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाए, हकदार होगा।

(3) संस्था के कार्य के संबंध में बैठक फीस और यात्रा के लिए यात्रा और ठहरने के व्यय के अतिरिक्त, उपनियम (1) में निर्दिष्ट निदेशक को, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिश पर और बोर्ड द्वारा अवधारित ऐसे नियत पारिश्रमिक का संदाय किया जा सकेगा जो उनकी समय पर व्यष्टिक उत्तरदायित्वों और मांगों के अनुरूप और अर्हित सक्षम व्यष्टियों का आकर्षित कराने के लिए पर्याप्त है तथा बाजार पद्धतियों द्वारा मार्गदर्शित किया जाता है :

परन्तु यह कि ऐसे निदेशक जो अध्यक्ष से भिन्न है के संबंध में उक्त पारिश्रमिक बीस लाख रुपए प्रति वर्ष या ऐसी उच्चतर रकम जो वाणिज्यिक बैंकों के गैर कार्यपालक निदेशकों को संदेय पारिश्रमिक के लिए रिजर्व बैंक द्वारा अवधारित किया जाए से अनधिक होगा।

5. स्वतंत्र निदेशकों का समावेशन.-(1) नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति, स्वतंत्र निदेशकों की अर्हताएं, सकारात्मक गुणों और उनके अवधारण के लिए बोर्ड को उनकी सिफारिश किए मानदंड को तैयार करेगी और स्वतंत्रता के लिए मानदंड को तैयार करते समय, समिति अन्य बातों के साथ, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यष्टिकों से संबंधित निम्नलिखित पहलुओं पर विचार कर सकेगी, अर्थात् :-

(क) क्या व्यष्टि या उसके नातेदार या कर्मचारी है या था;

(ख) क्या व्यष्टि या उसका नातेदार संस्था के साथ तात्विक धनीय संबंध रखता है या रखता था;

(ग) क्या व्यष्टि या उसका नातेदार किसी संपरीक्षों फर्म, कंपनी में कर्मचारी स्वामित्वधारी या भगीदार है या था या संस्था के पास तात्विक संव्यवहार रखने वाली विधिक या परामर्शी फर्म का या में लागत लेखाकार है या था;

(घ) क्या व्यष्टि या उसका नातेदार किसी ऐसे अलाभकारी संगठन जिसके पास संस्था या उसके संप्रर्वतकों या निदेशकों में से किसी संप्रवर्तक या निदेशक से तात्विक प्राप्तियां हैं, का मुख्य कार्यपालक या निदेशक है या था;

(ङ) क्या व्यष्टि या उसका नातेदार संस्था में दो प्रतिशत से अधिक के शेयर धारण करता है या उसका तात्विक प्रदाय करता है, सेवा प्रदाता या ग्राहक है या उसका पट्टेकर्ता या पट्टेकार है;

(च) क्या व्यष्टि या उसका नातेदार संस्था की समादत्त पूंजी के पचास लाख रू. या उसका दो प्रतिशत से अधिक के अंकित मूल्य की कोई अन्य प्रतिभूति धारण करता है या धारण की है या उसमें हित रखता है या रखा है;

(छ) क्या व्यष्टि या उसके नातेदार संस्था का ऋणी है या था या उसके किसी तृतीय व्यक्ति की ऋणग्रस्तता के संबंध में कोई गारन्टी दी है या दी थी या कोई प्रतिभूति प्रदान की है या की थी जो ऐसी राशि से अधिक है, जैसा नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति अवधारित करे :

परन्तु यह कि खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) बाबत मानदंड तैयार करते समय, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति ऐसी तात्विकता अवसीमा विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसकी वह यह अवधारण करने के लिए सिफारिश करती है क्या धनीय नातेदारी, या प्रदायकर्ता या सेवा प्रदाता या ग्राहक तात्विक है या कतिपय संव्यवहार या प्राप्तियां है :

परन्तु यह और कि खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) या खंड (छ) बाबत मानदंड तैयार करते समय जहां खंड में निर्दिष्ट स्थिति या संबंध या प्रतिभूति या ऋण या गारन्टी पूर्व से संबंधित है, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति ऐसी पिछली अवधि विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसे वह हिसाब में लेने की सिफ़ारिश करती है।

(2) नाम निर्देशन और पारिश्रमिक समिति, स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नामों की सिफारिश करने हेतु खोज पद्धति अंगीकृत कर सकेगी और ऐसे व्यष्टियों से जिनके नामों पर वह विचार कर सके और जो इस प्रकार नियुक्त किए जाने हेतु इच्छुक हों, निम्नलिखित के संबंध में जानकारी ऐसे प्ररूप में जो समिति विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध कर सकेगी, अर्थात् :-

(क) व्यक्तिगत पहचान ब्यौरे जिसके अंतर्गत आयकर स्थायी खाता संख्यांक, बैंक खाता संख्यांक और निदेशक पहचान संख्यांक भी है;

(ख) वृत्तिक इतिहास जिसके अंतर्गत किसी निगमित निकाय में निदेशक पद भी है;

(ग) दांडिक अभियोजन के संबंध में प्रकटीकरण, यदि कोई है;

(घ) वित्तीय हित जिसके अंतर्गत उसके और उसके संबंधियों के संबंध में फायदाप्रद स्वामित्व भी है;

(ङ) संगठनात्मक संबद्धता;

(च) उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मानदंड के संबंध में ब्यौरे;

(छ) किसी विनियामक या पर्यवेक्षण प्राधिकरण या अभिकरण या किसी विधि प्रवर्तन अभिकरण द्वारा प्रतिकूल सूचना, यदि कोई है;

(ज) किसी विनियमित उधारदाता संस्थान या वित्तीय बाजारों से लिए गए ऋणों के संबंध में उसके या किसी कंपनी द्वारा जिसका वह संप्रवर्तक या निदेशक है, ऋण बाध्यताओं के पुन: संदाय में व्यतिक्रम के संबंध में ब्यौरे;

(झ) इस संबंध में ब्यौरे कि क्या उसे स्वैच्छिक व्यतिक्रमी घोषित किया गया है या वह किसी ऐसे निगमित निकाय का संप्रवर्तक या निदेशक है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन स्वैच्छिक व्यतिक्रमी के रूप में घोषित किया गया है;

(ञ) यह संपुष्टि कि धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन निहर्रताओं में से कोई निहर्रता नहीं होगी यदि उसे संस्थान में स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है ।

(3) नामनिर्देशक और पारिश्रमिक समिति, उपनियम (2) के अधीन दी गई जानकारी और किसी अन्य जानकारी जो यह स्वयं को संतुष्ट करने हेतु संसुगत समझे कि ऐसा व्यष्टि जिसका नाम वह स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु सिफारिश करती है उसकी राय में वह व्यष्टि सत्यनिष्ठा और सुसंगत विशेषज्ञता तथा अनुभव रखता है और वह अर्हताओं को पूरा करता है और सकारात्मक गुण रखता है तथा उपनियम (1) में निर्दिष्ट स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करता है।

(4) जहां किसी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु प्रस्तावित कोई व्यष्टि लोकसेवक या केन्द्रीय सतर्कता अधिनियम, 2003 (2003 का 45) के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग के कृत्यों और शक्तियों की परिधि के भीतर कोई अधिकारी है, वहां संस्थान वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के माध्यम से उसकी सतर्कता प्रास्थिति सुनिश्चित करेगा।

(5) जहां किसी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रस्तावित कोई व्यष्टि उपनियम (4) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न है, वहां संस्थान उपनियम (2) के अधीन दी गई जानकारी प्रवर्तन, राजस्व आसूचना तथा माल और सेवा कर आसूचना

IndiaCode

निदेशालयों तथा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को उसके विरुद्ध किसी जांच या अन्वेषण या संस्थित या अनुध्यात कार्यवाही के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भेजेगा।

(6) बोर्ड, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक समिति की सिफारिशों और उपनियम (4) में निर्दिष्ट सतर्कता प्रास्थिति या उपनियम (5) में निर्दिष्ट रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, सिफारिश किए गए व्यष्टि को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(7) प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक ऐसा कार्यभार संभालने से पूर्व, संस्थान को यह संपुष्टि करते हुए ऐसी घोषणा प्रस्तुत करेगा कि उसने बोर्ड द्वारा अवधारित स्वतंत्रता का मापदंड पढ़ लिया है और वह उसे पूर्ण करता है तथा ऐसा वचनबंध कि वह सुनिश्चित करता रहेगा कि वह जब तक पद संभालेगा तब तक उक्त मानदंड पूरा करता रहेगा तथा ऐसा वचनबंध कि वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पद के कर्तव्यों और कार्यों के करने में हितों का टकराव नहीं है।

(8) ऐसा प्रत्येक स्वतंत्र निदेशक उतनी अन्य घोषणाएं प्रस्तुत करेगा और ऐसे अन्य प्रकटीकरण करेगा जो बोर्ड विनिर्दिष्ट करे या जो अपेक्षित हों और ऐसी आचार संहिता जो बोर्ड द्वारा निदेशकों के लिए अंगीकृत की जाए, का पालन करेगा।

6. हित का प्रकटीकरण.-(1) प्रत्येक निदेशक, धारा 16 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, किसी निगमित निकाय में उसके संबद्धता या हित, जिसमें शेयरधारिता सम्मिलित है, की प्रकृति का प्रकटीकरण इन नियमों की अनुसूची में उल्लिखित प्ररूप 1 में लिखित में सूचना देकर करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक सूचना, संस्थान के मुख्यालय में कंपनी सचिव या ऐसे अन्य व्यक्ति जो बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया जाए, की अभिरक्षा में रखी जाएगी और ऐसे वित्तीय वर्ष जिससे यह संबंधित है, के अंत से दस वर्ष की अवधि के लिए संरक्षित रखी जाएगी।

7. संबंधित पक्षकार के साथ संविदा या ठहराव.-(1) किसी संबंधित पक्षकार के साथ संस्थान द्वारा की गई कोई संविदा या ठहराव, धारा 19 के उपबंधों के अनुसार होगी और संपरीक्षा समिति या बोर्ड की ऐसी बैठक की कार्यसूची जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव पर विचार के लिए रखा जाना प्रस्तावित है, निम्नलिखित प्रकटीकरण करेगा, अर्थात् :-

(क) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति;

(ख) संविदा या ठहराव की प्रकृति, अवधि और विशिष्टियां;

(ग) संविदा या ठहराव की तात्विक निबंधन जिसके अंतर्गत उसकी कीमत भी है, यदि कोई हो;

(घ) संविदा या ठहराव के लिए संदत्त या प्राप्त अग्रिम, यदि कोई हो;

(ङ) इस बात को विचार में लिए बिना कि क्या वे संविदा में सम्मिलित हैं या नहीं, कीमत और अन्य वाणिज्यिक निबंधन अवधारित करने की रीति;

(च) क्या संविदा से सुसंगत सभी कारकों पर विचार किया गया है और यदि नहीं, तो ऐसे कारकों के ब्यौरे, उन पर विचार न करने के तर्काधारों सहित, जिन पर विचार नहीं किया गया है; और

(छ) किसी विषय के संबंध में विनिश्चय करने हेतु यथास्थिति, संपरीक्षा समिति या बोर्ड के लिए सुसंगत कोई अन्य जानकारी।

(2) जहां किसी संबंधित पार्टी के साथ किसी संविदा या ठहराव में कोई निदेशक हितबद्धद है वहां ऐसा निदेशक संपरीक्षा समिति या बोर्ड की ऐसी बैठक में भागीदारी नहीं करेगा जिसमें ऐसी संविदा या ठहराव पर विचार किया जाता है।

8. इलैक्ट्रोनिक अभिलेखों और इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर का उपयोग.-इन नियमों के प्रयोजनों हेतु**,-**

(क) लिखित मे सूचना देने की कोई अपेक्षा पूरी हो जाएगी, यदि उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में यथा परिभाषित किसी इलैक्ट्रोनिक रिकार्ड के प्ररूप में दे दिया जाता है;

(ख) किसी सूचना पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर करने की कोई अपेक्षा पूरी हो जाएगी, यदि वह उस पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) में यथा परिभाषित अपने इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर चिपकाता है।

IndiaCode

अनुसूची

प्ररूप 1

(नियम 6 का उपनियम (1) देखें)

हित प्रकटीकरण प्ररूप

सेवा में :

निदेशक बोर्ड
राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक

महोदया/महोदय,

मैं पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी श्री/सुश्री निवासी इस संदर्भ के लिए बोर्ड या संस्थान को निम्नलिखित सूचना प्रदान करता हूं। मैं पुष्टि करता हूं कि इसमें (भाग क और भाग ख) में वर्णित सूचना सत्य, सही और पूर्ण है, और मेरे हितों तथा संबद्धता के बारे में एक सही स्थिति को प्रतिबिम्बित करती है।

मैं अनुरोध करता हूं कि सूचना को बोर्ड की तत्काल बाद की बैठक में उसके समक्ष रखने की व्यवस्था की जाए।

* मैं, राष्ट्रीय वित्तीय अवसंरचना और विकास बैंक के बोर्ड के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए सहमति भी देता हूं और प्रमाणित करता हूं कि मैं वित्तीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021, जिसमें इसकी धारा 10 शामिल है, के अधीन निदेशक बनने के लिए अयोग्य नही हूं।

टिप्पण: [*] से प्रारंभ होने वाले भाग को केवल बोर्ड की ऐसी बैठक से पहले जमा किए जाने वाले हित प्रकटीकरण प्ररूप में शामिल किया जाना है जिसमें निदेशक पहली बार भाग लेता है।

तारीख : हस्ताक्षर :

स्थान : नाम :

(बड़े अक्षरों में)

निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) :

भाग क

निदेशक के लिए व्यक्तिगत आंकड़े

क्रम सं.	विशिष्टियां	सूचना
1.	नाम	
2.	जन्म तिथि	
3.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	
4.	आयकर स्थायी खाता संख्या (पीएएन)	
5.	आधार संख्या (यदि भारत का निवासी हो)	
6.	राष्ट्रीयता	
7.	पासपोर्ट संख्या	
8.	शैक्षणिक / वृत्तिक अर्हताएं	
9.	पता कृपया निर्दिष्ट करें जहां सामान्यता संसूचनाएं भेजी जानी चाहिए	

	(क) कार्यालय :	
	(ख) निवास :	
	(ग) मोबाइल संख्या :	
	(घ) ई-मेल पता :	

भाग ख

सारवान् हित या समुत्थान का प्रकटीकरण

मैं,, एतद्वारा बोर्ड को सूचना देता हूं कि सूचना की तारीख को, मैं निम्नलिखित निगमित निकायों, फर्मों और अन्य इकाइयों में सारवान् हित* रखता हूं। मुझे निम्नलिखित उक्त निगमित निकायों, फर्मों और अन्य इकाइयों के साथ किए जाने वाले किसी भी संविदा या ठहराव में संबद्ध या हितबद्ध माना जायेगा :

क्रम सं.	निगमित निकाय, फर्म या अन्य इकाई का नाम	निगमित पहचान संख्या (सीआईएन) / सीमित दायित्व वाली भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) / रजिस्ट्रीकरण संख्या	सारवान् हित या समुत्थान की प्रकृति	तारीख जिस पर हित या समुत्थान उत्पन्न हुए हैं या अंतिम बार परिवर्तित हुए हैं
1.				
2.				
3.				

IndiaCode

* "सारवान् हित" पद का अर्थ वित्तीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 की धारा 18 के निम्नलिखित स्पष्टीकरण में दिया गया है :

> "स्पष्टीकटरण.-इस धारा के प्रयोजनों के लिए "सारवान् हित" उधार लेने वाले के संबंध में, जिसका अर्थ है कि संस्थान के एक या एक से अधिक निदेशकों या ऐसे निदेशक के किसी संबंधी द्वारा धारित लाभकारी हित जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खंड (77)** में परिभाषित है। चाहे अकेले हो या एक साथ, उधार लेने वाले शेयरों में, और भुगतान की गई कुल राशि जिस पर या तो पचास लाख रुपए या उधारकर्ता की संदत्त शेयर पूंजी का दो प्रतिशत, जो भी कम हो या ऐसी अन्य सीमा जो निर्धारित की जा सकती है।"

** उक्त खंड के अधीन विहित कंपनी (परिभाषा ब्यौरे की विशिष्टता) नियम, 2014 के नियम 4 के साथ पढ़ा जाए।

[फा. सं. 15/10/2021-IF-I]

अमित अग्रवाल, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th January, 2022

G.S.R. 51(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Bank for Financing Infrastructure and Development General Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Act" means the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021 (17 of 2021);

(b) "body corporate" shall mean and include the bodies referred to in the Explanation to section 16 of the Act;

(c) "Company Secretary" means an individual who is a member of the Institute of Company Secretaries of India, constituted under the Company Secretaries Act, 1980 (56 of 1980) and who is the head of the secretarial function of the Institution;

(d) "Director Identification Number" shall have the same meaning as is assigned to the term in the rules made under sections 153 and 154 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(e) "related party" with reference to the Institution, shall have the same meaning as is assigned to the term in clause (76) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013) with reference to a company;

(f) "Schedule" means the Schedule to these rules;

(g) "section" means a section of the Act.

(2) The words and expressions used herein and not defined in these rules, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Term of office of Chairperson and other directors.—(1) The Chairperson and the Managing Director, every Deputy Managing Director and every other director who is other than a director nominated by the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 6 shall,—

(a) in case of a director who is other than a director elected under clause (e) of the said sub-section, hold office for such term not exceeding five years as the authority nominating or appointing him may determine;

(b) in case of a director elected under clause (e) of the said sub-section, hold office for a term of three years:

Provided that the Chairperson and every director nominated or appointed under sub-section (1) of section 6 shall hold office during the pleasure of the authority nominating or appointing him:

Provided further that the Managing Director and the Deputy Managing Directors shall not hold office as such after they have attained the age of sixty-five years and sixty-two years, respectively.

(2) A director referred to in sub-rule (1) shall be eligible for re-appointment, subject to an overall term not exceeding ten years.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2), in respect of any director referred to in sub-rule (1),—

(a) the Central Government may remove him from office under section 10;

(b) the Central Government or the Board or the shareholders, as the case may be, may remove him as provided in sub-section (1) of section 11;

(c) the Central Government shall have the right to terminate the term of his office at any time before the expiry of his term by giving him notice or three months' salary and allowances, under sub-section (2) of section 11;

(d) the seat of the director shall become vacant if he becomes subject to any of the disqualifications or the removal referred to in clause (a) of sub-section (1) of section 12, or if he absents himself as in clause (b) of the said sub-section;

(e) the director may resign his office by giving such notice as is provided in sub-section (2) of section 12:

Provided that he shall specify in such notice the reasons for his resignation and shall affirm that there is no material reason other than those specified.

(4) If the Chairperson is rendered incapable of carrying out his duties by infirmity or otherwise in circumstances not involving the vacation of his office, or is absent on leave, the Central Government in consultation with the Reserve Bank may appoint another person to act in his place during his absence.

(5) If the Managing Director is rendered incapable of carrying out his duties by infirmity or otherwise in circumstances not involving the vacation of his office, or is absent on leave, the Board may appoint a Deputy Managing Director to act in his place during his absence.

4. Other terms and conditions of service of directors other than whole-time directors.—(1) Every director, other than a director who is an officer of the Central Government or is a whole-time director, shall be entitled to receive such sitting fee for attending meetings of the Board and committees as may be determined by the Board on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, subject to such fee not exceeding such limit as may apply in respect of sitting fee applicable to a director of a company under the Companies Act, 2013 (18 of 2013).

(2) A director referred to in sub-section (3) of section 9 shall be entitled to travelling and halting expenses, if any, on such basis as may be determined by the Board, for travel undertaken in connection with the work of the Institution.

(3) In addition to sitting fee and travelling and halting expenses for travel in connection with the work of the Institution, a director referred to in sub-rule (1) may, on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee and as determined by the Board, be paid a fixed remuneration which is considered commensurate with their individual responsibilities and demands on time and sufficient to attract qualified competent individuals and is guided by market practices:

Provided that the said remuneration, in respect of such a director who is other than the Chairperson, shall not exceed twenty lakh rupees per annum or such higher amount as may be determined by the Reserve Bank in respect of remuneration payable to non-executive directors of commercial banks.

5. Induction of independent directors.—(1) The Nomination and Remuneration Committee shall formulate criteria for qualifications, positive attributes and independence of independent directors and recommend the same to the Board for its determination, and while formulating the criteria for independence, the committee may take into consideration, among others, the following aspects relating to individuals to be appointed as independent director, namely:—

(a) whether the individual or his relative is or was a promoter or director or employee of the Institution;

(b) whether the individual or his relative has or had a material pecuniary relationship with the Institution;

(c) whether the individual or his relative is or was an employee or proprietor or partner in a firm of auditors, company secretaries or cost accountants of, or in a legal or consulting firm having material transactions with, the Institution;

(d) whether the individual or his relative is or was a chief executive or director of any non-profit organisation that has material receipts from the Institution or any of its promoters or directors;

(e) whether the individual or his relative holds shares in excess of two per cent. in, or is a material supplier, service provider or customer of, or is a lessor or lessee of, the Institution;

(f) whether the individual or his relative holds or has held any other security of or interest in the Institution of face value exceeding fifty lakh rupees or two per cent. of the paid-up capital of the Institution; and

(g) whether the individual or his relative is or was indebted to, or has or had given a guarantee or provided any security in connection with indebtedness of any third person to the Institution, in excess of such amount as the Nomination and Remuneration Committee may determine:

Provided that while formulating criteria in respect of clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (e), the Nomination and Remuneration Committee may specify the materiality threshold it recommends for determining whether a pecuniary relationship or supplier or service provider or customer is, or certain transactions or receipts are, material:

Provided further that while formulating criteria in respect of clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) or clause (g), where the position or relationship or security or debt or guarantee referred to in the clause pertains to the past, the Nomination and Remuneration Committee may specify the past period which it recommends be taken into account.

(2) For recommending names for appointment as independent director, the Nomination and Remuneration Committee may adopt the search mode and request individuals whose names it may consider and who are interested in being so appointed, to furnish in such form as the committee may specify, information in respect of the following, namely:—

(a) personal identification details, including income-tax Permanent Account Number, bank account numbers and Director Identification Number;

(b) professional history, including directorships in a body corporate;

(c) disclosure regarding criminal prosecution, if any;

(d) financial interests, including beneficial ownership, in respect of himself and his relatives;

(e) organisational affiliations;

(f) details regarding the criteria of independence referred to in sub-rule (1);

(g) adverse notice, if any, by any regulatory or supervisory authority or agency, or a law enforcement agency;

(h) details regarding default in repayment of debt obligations by him, or by a company in which he is a promoter or director, in respect of loans taken from a regulated lending institution or debts raised from the financial markets;

(i) details regarding whether he has been declared a wilful defaulter, or is a promoter or director in a body corporate which has been declared as a wilful defaulter, under guidelines issued by the Reserve Bank; and

(j) confirmation that none of the disqualifications under sub-section (1) of section 10 shall be attracted if he is appointed as an independent director in the Institution.

(3) The Nomination and Remuneration Committee shall, after taking into consideration the information furnished under sub-rule (2) and any other information it may consider relevant, satisfy itself that an individual whose name it proposes to recommend for appointment as independent director is in its opinion a person of integrity and possesses relevant expertise and experience, and that he fulfils the qualifications, possesses the positive attributes and meets the criteria of independence referred to in sub-rule (1).

(4) If an individual proposed to be appointed as an independent director is a public servant or an official falling within the scope of the powers and functions of the Central Vigilance Commission constituted under the Central Vigilance Commission Act, 2003 (45 of 2003), the Institution shall ascertain his vigilance status through the Ministry of Finance, Department of Financial Services.

(5) If an individual proposed to be appointed as an independent director is other than an individual referred to in sub-rule (4), the Institution shall transmit the information furnished under sub-rule (2) to the Directorates of Enforcement, Revenue Intelligence and Goods and Service Tax Intelligence and the Central Board of Direct Taxes, for their reports with regard to any inquiry or investigation or proceeding instituted or contemplated against him.

(6) The Board may, after considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee and the vigilance status referred to in sub-rule (4) or the reports referred to in sub-rule (5), appoint the recommended individual as independent director.

(7) Every independent director shall, before assuming office as such, furnish to the Institution a declaration confirming that he has read and meets the criteria of independence determined by the Board, an undertaking that he shall continue to ensure that he meets the said criteria so long as he remains in office, and an undertaking that he shall ensure absence of conflict of interest in carrying out the functions and duties of his office.

(8) Every independent director shall furnish such other declarations and make such disclosures as the Board may specify or require, and shall abide by such code of conduct for directors as the Board may adopt.

6. Disclosure of interest.—(1) Every director, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 16, shall disclose the nature of his concern or interest in any body corporate, which shall include shareholding, by giving a notice in writing in Form 1 set out in the Schedule to these rules.

(2) Every notice received under sub-rule (1) shall be kept at the head office of the Institution, kept in the custody of the Company Secretary or such other person as the Board may authorise for this purpose, and be preserved for a period of ten years from the end of the financial year to which it relates.

7. Contract or arrangement with related party.—(1) Any contract or arrangement entered into by the Institution with a related party shall be in accordance with the provisions of section 19, and the agenda of the meeting of the Audit Committee or the Board at which such contract or arrangement is proposed to be considered shall disclose the following, namely:—

(a) the name of the related party and nature of relationship;

(b) the nature, duration and particulars of the contract or arrangement;

(c) the material terms of the contract or arrangement, including the value thereof, if any;

(d) advance paid or received, if any, for the contract or arrangement;

(e) the manner of determining the pricing and other commercial terms, irrespective of whether or not the same are included in the contract;

(f) whether all factors relevant to the contract have been considered and, if not, the details of the factors not considered, along with the rationale for not considering the same; and

(g) any other information relevant for the Audit Committee or the Board, as the case may be, to take decision in the matter.

(2) Where any director is interested in any contract or arrangement with a related party, such director shall not participate in the meeting of the Audit Committee or the Board at which such contract or arrangement is considered.

8. Use of electronic records and electronic signature.—For the purposes of these rules, any requirement of—

(a) giving a notice in writing shall be satisfied if the same is given in the form of an electronic record as defined in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(b) a person signing a notice shall be satisfied if he affixes thereon his electronic signature as defined in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

SCHEDULE

Form 1

[*See* sub-rule (1) of rule 6]

INTEREST DISCLOSURE FORM

IndiaCode

To:

The Board of Directors
The National Bank for Financing Infrastructure and Development

Madam/Sir,

I, ……., son/daughter/spouse of Mr/Ms ……..., resident of ……., hereby provide the following information to the Board and the Institution for its records. I confirm that the information set out herein (Part A and Part B) is true, correct, complete and reflects an accurate position about me and my interests and concerns.

I request that arrangements be made to have this notice laid before the Board at its immediately succeeding meeting.

* I, _____, hereby also give my consent to act as director on the Board of the National Bank for Financing Infrastructure and Development and certify that I am not disqualified to be a director under the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021, including under section 10 thereof.

Note: The portion beginning with [] is to be included only in the Interest Disclosure Form to be submitted prior to the first meeting of the Board in which the director participates.*

Date: **Signature:**

Place: **Name:**

(in block letters)

Director Identification Number (DIN):

PART A

PERSONAL DATA OF THE DIRECTOR

Sl. No.	Particulars	Information
1.	Name	
2.	Date of birth	
3.	Director Identification Number (DIN)	
4.	Income-tax Permanent Account Number (PAN)	
5.	Aadhaar number (if resident Indian)	
6.	Nationality	
7.	Passport number	

8.	Educational / professional qualification	
9.	Address *Please specify where communications should ordinarily be sent:*	
	(a) Office:	
	(b) Residence:	
	(c) Mobile number:	
	(d) Email address:	

PART B

DISCLOSURE OF SUBSTANTIAL INTEREST OR CONCERN

I, ……., do hereby give notice to the Board that as on the date of this notice, I hold substantial interest* in the following bodies corporate, firms and other entities. I am regarded as concerned or interested in any contract or arrangement which may be entered into with the said following bodies corporate, firms and other entities:

Sl. No.	**Name of body corporate, firm or other entity**	**Corporate Identity Number (CIN)/Limited Liability Partnership Identification Number (LLPIN) / Registration Number**	**Nature of substantial interest* or concern**	**Date on which interest or concern arose/last changed**
1.				
2.				
3.				

IndiaCode

** "Substantial interest" has the meaning given to this term in the following Explanation to section 18 of the National Bank for Financing Infrastructure and Development Act, 2021:*

> *"Explanation.—For the purpose of this section, "substantial interest" in relation to a borrower, means the beneficial interest held by one or more of the directors of the Institution or by any relative of such director as defined in clause (77) of section 2 of the Companies Act, 2013** whether singly or taken together, in the shares of the borrower, and the aggregate amount paid-up on which either exceeds fifty lakhs rupees or two per cent. of the paid-up share capital of the borrower, whichever is lesser or such other threshold as may be prescribed."*

*** To be read with rule 4 of the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014, prescribed under the said clause*

[F. No. 15/10/2021-IF-I]

AMIT AGRAWAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.01.31 12:21:39 +05'30'